

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
सं0सं0-03/प्र0-आवंटन (MMGPY)-14-05/2024 46

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 07/02/2026

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु कुल 16,80,000/- (सोलह लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) की राशि की स्वीकृति।


आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र 0	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय उपबंध	पुनरीक्षित बजटीय उपबंध (वित्तीय वर्ष 2025-26)	विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-194, 264, 278 , 304, 330, 387, 410, 492, 21 एवं 34 के द्वारा स्वीकृत राशि	शेष राशि	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि
	1	2	3	4	5	6
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199 -अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055001990101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	18,00,00,000 /-	13,50,00,000 /-	4,32,60,000 /-	9,17,40,000 /-	6,40,000 /-
2	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007890101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	45,48,00,000 /-	15,48,00,000 /-	8,68,40,000 /-	6,79,60,000 /-	9,00,000 /-
3	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप-मुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	3,69,00,000 /-	1,69,00,000	5,00,000 /-	1,64,00,000 /-	1,40,000 /-
	कुल -	67,17,00,000 /-	30,67,00,000 /-	13,06,00,000 /-	17,61,00,000 /-	16,80,000 /-

- 2 उक्त राशि को जिला पदाधिकारी, पटना को आवंटित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा इसे संबद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा यह राशि CFMS 2.0 के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- 3 इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- 4 वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 5 वित्त विभागीय पत्रांक-3758, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रि परिषद) का अनुमोदन संचिका संख्या-03/परि0 (योजना)-14-14/2018 के पृष्ठ-11/टि0 पर दिनांक-28.08.2018 को प्राप्त है।


  
अपर सचिव, 07/02/2026

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07/02/2026

ज्ञापांक:- 46

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
अपर सचिव, 07/02/2026

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07/02/2026

ज्ञापांक:- 46

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
अपर सचिव, 07/02/2026

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07/02/2026

ज्ञापांक:- 46

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


  
अपर सचिव, 07/02/2026

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07/02/2026

ज्ञापांक:- 46

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सामग्री को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाये तथा इसे सभी संबंधितों को ई-मेल किया जाय।

  
अपर सचिव, 07/02/2026

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।